

प्र०

विद्या विभाग शिक्षा अधिकारी
जीनपुर।

सेवा में

प्रबन्धक
जोलीपुर झुण्डर नेशनल स्कूल,
झुण्डरमंजि, जीनपुर।

पत्रक/भाग्यता/

दृष्टिकोणः

/2021-22 विभाग 36-1A-2)

विभाग नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 10 के प्रयोगसे नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विभाग 2010 के विभाग 15 के तथा विभाग (4) के वर्णन वाली माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्राप्ति पत्र= प्राप्त है।

जांच अधिकारी/ सामन्वित लघु शिक्षा अधिकारी की वार्ता/ परिवर्ति तथा मण्डलीय सहायक विकास विभाग (विभिन्न) विभाग 08 मई 2013 के द्वारा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम=० वाले० ०८-१९/२०१३-१८(२०)/११ विभाग 08 मई 2013 के विभाग 30.11.2021 के विभाग 2010 (उपाधि 2) के उपाधि के बालकों में वापर के बाबेन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातपर्याप्ती पत्राचार/विभाग के प्रतिविवेश जोलीपुर झुण्डर नेशनल स्कूल, झुण्डरमंजि, जीनपुर को 30.12.2021 से 29.12.2024 तक दीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सी रो कक्षा 08 तक के लिए विभागीय मान्यता प्राप्ति करने की सम्मुखीन दीता है।

उपरोक्त भंजुरी विनाशित शर्तों के पूरा विभाग जाने की अध्याधीन है-

1. मान्यता की भंजुरी विनाशीली नहीं है और उसमें विभागीय रूप में कक्षा 08 के उपाधि मान्यता/संरक्षण करने के लिए कोई बाध्यता विविहत नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाधि 1) और नि: शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विभाग 2010 (उपाधि 2) के उपाधियों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या ग्रा० विभिन्न, नर्सी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक बास पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविद्या० विभिन्न बालकों को प्रवेश प्राप्ति करेगा और उन्हें नि: शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक विकास उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में विनिर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 के उपाधि (2) उपाधियों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए एक पृष्ठक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कौपिटेशन शुल्क का रंगाई नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके गाता-पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का साकूल न होने के कारण प्रवेश देने वा इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपर्योगों को पालन करेगा, विद्यालय विनाशित विनाशित विनाशित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी पालन को विद्यालय में उसकी प्राथमिक विकास पूरी ढौने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय में विनाशित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक वण्ड या गानशिक उत्तीर्णन की अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक विकास पूरी होने तक किसी भी बालक वो कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक विकास पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को विभाग 25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपर्योग के अनुसार विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - अध्यापक रख्य को विभागीय नियम-विभाग कलापों में विनाशित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाद्ययार्थी के आधार पर पाद्ययक्षम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विभागीय विनाशित विनाशित के गानकों और शानियगों को बनाये रखेगा। अस्तिम विशेषण के साथ रिपोर्ट की गयी प्रशुरियाये विनाशित विनाशित करेगा।

विद्यालय परिसर का शोब्रफल।

कुल निर्मित शोब्रफल।

कीड़ा रखने का शोब्रफल।

कक्षाओं की रख्य।

प्राध्यापक-राह कार्यालय, राह भंडारामार के लिए कक्ष।

बालकों और बालिकाओं के पृष्ठक शौचालय।

पेय जल सुविधा।

मीड़-हे-मील पकाने के लिए रसोई।

बाधा रहित पहुच।

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकदम उपरकारों/प्रत्यकालय की उपलब्धता।

कृष्ण

राम

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई ऐर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ और नहीं गलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा रुचि का प्रयोग कैवल शिक्षा और कौशल विकास सौनामों के प्रयोजनाओं के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को रोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी रोसाइटी द्वारा या तत्वात्मा पर्युत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक चारा द्वारा गलाया जा सकता है।
12. एकूल को किसी व्यापि, व्याटिगों के सामूह का संगम किसी अन्य व्यक्तिमानों के बाग के लिए नहीं गलाया जा सकता है।
13. विद्यालय के लेखालों की किसी चाटडै एकार्टेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए। और उसके द्वारा प्रगाणित किया जाना चाहिए तथा उन्नित लेखा विवरण नियमों के अनुराग तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक तर्फ जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक X है। कृपया इसे गोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी प्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो सामग्री-सामग्री पर शिक्षा निवेशक/जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और सामूचित रास्कार/स्थानीय प्राचिकारी के लिए अनुप्रेशो का पालन करता है, जो मान्यता साक्षी शर्तों के शर्तत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की किसी को तूर करने के लिए जारी किया जायेगा।
16. रास्कालन उपबन्ध के अनुराग अन्य कोई शर्त।
17. मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात/अभिलेख किसी भी रस्त पर कूट रणित अथवा कर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुराग मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यताही नी जायेगी।
18. विद्यालय संचालन में आने वाला व्यापर विद्यालय प्रबन्ध तन्त्र द्वारा आपने निजी रस्तों से बाहर किया जायेगा।

ग्रन्तीपात्र
(राजेन्द्र शिंह)

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

8097

/2021-22 दिनांक-उत्तरवत्।

पृष्ठां/मान्यता/

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आशयक कार्यताही हेतु प्रेषित।

1. राधिव उम्प्रो वैशिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद।
2. गण्डलीय राहायक शिक्षा निवेशक (वैशिक) पंचग गण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सामूचित विकासखण्ड/नगर क्षेत्र को इस निर्वेश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर से और पूर्ण रूपेण संरक्षित हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के गानक के अनुराग निर्मित है। और राक्षाम प्राचिकारी द्वारा विद्यालय गवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुराग निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्मित होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र कियाशील तथा शारानादेश दिनांक 08.05.2013 के द्वारा निर्धारित गानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक स्पष्टाक के अन्दर अधोहरताक्षरी को अवगत कराये।
4. वार्यालय प्रति।

(राजेन्द्र शिंह)

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।